

संख्या I-23/2017/क्रय  
क्रय अनुभाग  
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून

दिनांक 24.07.2020

सेवा में,

समूह समन्वयक, समस्त विभागाध्यक्ष,  
डीन, कुलपति व.अ.स. सम विश्वविद्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष, रा.व.पु.सू.केंद्र  
कुलपति व.अ.स., प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नव वन चिकित्सालय

**विषय- अनुसंधान हेतु खरीद में जी एस टी एवं कस्टम ड्यूटी छूट के सम्बन्ध में**

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 45/2017-CENTRAL TAX(RATE) 14.11.2017 का अवलोकन करते हुए यह सूचित किया जाता है कि ICFRE देहरादून, DSIR के प्रमाण पत्र संख्या TU/V/RG-CDE(662)/2016 दिनांक 19.09.2016 (संलग्न) के अनुसार अनुसंधान कार्य हेतु खरीद वास्ते उपरोक्त जी एस टी (5%) एवं कस्टम ड्यूटी में छूट हेतु पात्र है।

अतः संस्थान में प्रचलित क्रय प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी आपूर्तिकर्ता के नाम उपरोक्त छूट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पात्र होंगे

1. ₹ 25,000/- की खरीद तक - प्रभाग प्रमुख
2. ₹ 1,00,000/- की खरीद तक - क्रय अधिकारी
3. ₹ 1,00,000/- से अधिक की खरीद पर - निदेशक

इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी के संस्तुति उपरांत किसी अन्य अधिकारी द्वारा यदि कोई आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है तो इस हेतु जी एस टी (5%) एवं कस्टम ड्यूटी छूट प्रमाण पत्र भी सम्बंधित अधिकारी द्वारा ही जारी किया जायेगा।

उपरोक्त से सम्बंधित प्रमाणपत्र प्रारूप आदि संस्थान की वेबसाइट में उपलब्ध होगा।

यह परिपत्र निदेशक व.अ. स. की संस्तुति उपरांत जारी किया गया है।

संगलनक: DSIR प्रमाण पत्र

क्रय अधिकारी

वन अनुसंधान संस्थान

प्रतिलिपि

- 1- निजी सहायक, निदेशक व.स. .अ.
- 2- लेखाधिकारी, व.स. .अ.